

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन संख्या - 33 / 2022

प्रधान केशव नारायण सिंह बनाम झारखण्ड राज्य वगैरह

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

13-04-2022

अपीलार्थी प्रधान केशव नारायण सिंह पिता स्व० मनबोध सिंह साकिन बनखेता थाना रामगढ़ जिला रामगढ़ द्वारा U/S 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act 1973 के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के दाखिल खारिज अपील संख्या 76/21-22 में दिनांक 01.11.2021 को एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ के दाखिल खारिज वाद संख्या 356 R27/2021-22 में दिनांक 02.02.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक 06.05.2022 को रखें।

साधवीशिया
18.04.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

06/05/2022 अपीलार्थी - वकालत हाजरी

अपीलार्थी के विज भदिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, रामगढ़ के दाखिल खारिज वाद सं. 356 R27/2021-22 में दिनांक 02.02.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया है, जो निपमानुसूल नहीं है।

अपीलार्थी चाहे तो अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निपमानुसार भूमि

सुझाव उप समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में
अपील दाखल कर सकते हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा दिये गये आवेदन
को प्रविष्टि के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जा रहा है।
संचित करें।

लेखापिन एवं संशोधित

शाधवीशिक्षा
06.05.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

शाधवीशिक्षा
06.05.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।